न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः 115/2017

दर्ज दिनांकः 11/09/2017

निर्णय दिनांक : 27/02/2018

1. धन्नी देवी पत्नि नारायण लाल जाति ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. नारायणलाल पुत्र नानगराम जाति ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।

......प्रार्थीगण

बनाम

1. हनुमान नायक पुत्र किशना जाति नायक, निवासीः ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. सूर्यनारायण पुत्र नानगराम जाति ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. भंवरसिंह पुत्र बजरंग जाति राजपूत, निवासीः ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. लादूराम पुत्र रामकरण जाति जाट, निवासीः ग्राम बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।
5. सीताराम पुत्र रामकरण जाति जाट, निवासीः ग्राम बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. हनुमान पुत्र रामकरण जाति जाट, निवासीः ग्राम बीची, तहसील फागी, जिला जयपुर।
7. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
8. उपतहसीलदार माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी

उपस्थितः

श्री सुनील कुमार जोशी एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

श्री दौलतराम जाट एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ल. 6

अप्रार्थी सं. 7 व 8 की ओर से पैरो0 राज0 उप0।

निर्णय दिनांकः **27/02/2018**

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि खतौनी संख्या 121 के आराजी खसरा नंबर 1269/260 रकबा 2 बीघा व खतौनी संख्या 140 के आराजी खसरा नंबर 276/2 रकबा 6 बीघा भूमि वाके ग्राम सेहदरिया, पटवार हल्का सेहदरिया, भू.अभि.नि.क्षेत्र डाबिच, तहसील फागी में स्थित आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थीगण ने आराजी भूमि का विधिवत रूप से श्रीमान उपतहसीलदार माधोराजपुरा के आदेश क्रमांक/एल.आर/17/22 दिनांक 29/05/2017 की पालना में दिनांक 12/06/2017 को पटवारी हल्का सेहदरिया से सीमाज्ञान करवाया गया जब सीमाज्ञान पूर्ण हो गया एवं फिर भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सीमाज्ञान की अनदेखी करने लगे तथा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में हुये सीमाज्ञान दिनांक 12/06/2017 को मध्यनजर रख पक्षकारो की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर रिपोर्ट सीमाज्ञान कर रिपोर्ट सीमाज्ञान प्रत्येक खेत की चारो भुजाओ की नाप मय फर्द नक्शे अनुसार दर्शाते हुये पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं उक्त सीमाज्ञान में कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण द्वारा मिटाने पर आमादा है। अप्रार्थीगण नहीं चाहते है कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त कर सके जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते एवं प्रार्थीगण की आराजीयात के कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते है

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

क्योकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नहीं हो रखी है। सीमाज्ञान दिनांक 12/06/2017 एवं आदेश क्रमांक/एल.आर./17/22 दिनांक 29/05/2017 को उपतहसीलदार माधोराजपुरा के आदेश पर हुये सीमाज्ञान दिनांक 12/06/2017 को हुये सीमाज्ञान एवं कायम किये निशानात को अप्रार्थीगण नहीं मानते तथा प्रार्थीगण से आये दिन लडाई झगडा मेर कोर को लेकर तथा पत्थरगढी नहीं होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करते है इस कारण प्रार्थीगण को यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। सीमाज्ञान दिनांक 12/06/2017 एवं उपतहसीलदार माधोराजपुरा के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक 12/06/2017 के अनुसार यदि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सकेगा।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 12/06/2017 व उपतहसीलदार माधोराजपुरा के द्वारा पारित आदेश क्रमांक/एल.आर/17/22 दिनांक 29.05.2017 के पालना के अनुसार पटवारी हल्का सेहदरिया के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 12/06/2017 के मुताबिक खतौनी संख्या 121 के आराजी खसरा नंबर 1269/260 रकबा 2 बीघा व खतौनी संख्या 140 के आराजी खसरा नंबर 276/2 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम सेहदरिया, पटवार हल्का सेहदरिया, भू.अभि.नि.क्षेत्र डाबिच तहसील फागी में स्थित आराजी की पत्थरगढी के आदेश फरमाया जावे इस बाबत तहसीलदार फागी व उपतहसीलदार माधोराजपुरा को एवं आवश्यकता हो तो पुलिस थाना फागी को तहरीर भिजवाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 10.10.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से श्री दौलतराम जाट एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की ओर से पैरोकार राज0 उप0। दिनांक 23.01.2018 को वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 08.02.2018 को अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

संख्या 7 व 8 की ओर से पैरोकार राज0 ने जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि उक्त उनवानी प्रकरण के खसरा नंबरान पूर्व में दिनांक 12.06.2017 को सीमाज्ञान करवा दिया गया है। नियमानुसार पत्थरगढी करवा दी जाये तो आपत्ति नहीं है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, जवाब अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6, सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.06.2017, नक्शा ट्रेस, तहसीलदार फागी की रिपोर्ट इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मैनें यह पाया कि प्रार्थी संख्या 1, खसरा नंबर 1269/260 रकबा 2 बीघा एवं प्रार्थी संख्या 2, खसरा नंबर 276/2 रकबा 6 बीघा ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.06.2017 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है।

चूंकि पक्षकारान के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद है जिसके स्थायी निराकरण के लिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की आराजीयात पर पत्थरगढी करवाना जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फागी को आदेश दिया जाता है वह मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.06.2017 के अनुसार खसरा नंबर 1269/260 रकबा 2 बीघा एवं खसरा नंबर 276/2 रकबा 6 बीघा ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर की भूमि की सीमाओ पर पडौसी खातेदारो की उपस्थिति में पत्थरगढी की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27/02/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी